अध्याय 18
अपील और पुनरीक्षण

धारा 107 : अपील प्राधिकरण को अपीलें

(1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से, जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर किया जाए।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए, जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं और जो आयुक्त द्वारा उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता ने–

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत होने वाले किसी कर, ब्याज, जुर्माने, फीस और शास्ति का पूर्ण या उसके ऐसे भाग का संदाय न कर दिया हो जिसे उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का [1]**[**अधिकतम [2]**[**बीस**]** करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए**]** संदाय न कर दिया हो।

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''पच्चीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

[3][**परन्तु** किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।**]**

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तो वह पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय मंजूर कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को ऐसा कोई स्थगन तीन से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को उस समय अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक हो, ऐसे विनिष्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश करेगा, जो वह उचित और उपयुक्त समझे, किन्तु वह उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला वापस निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसे विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या अधिक मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माने को बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय को घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकारी की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से उसका प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताओ सूचना न दे दी गई हो और धारा 73 या धारा 74 [4][या धारा 74क**]** के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील का निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें

---

3 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

''[A][**परन्तु** धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलाथी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।**]**"

A. वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन होगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और उसका विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि, एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और राज्य कर अधिकारिता वाले आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

उपयुक्त नियमः नियम 108, 109, 109क, 109ग

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एपीएल–01, जीएसटी एपीएल–02, जीएसटी एपीएल–03, जीएसटी एपीएल–01/03W